फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री देवेन्द्रसिंह | **विपक्षी :– श्री अनिल कुमार**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 31/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 4 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की पीडी बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः उभय पक्षकारान सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैः–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म
1	अनिल कुमार पिता नागरमल महाजन सा. देह खातेदार हि. 1/3, तिलकराज पिता नागरमल महाजन सा. देह खातेदार हि. 1/3, सुनीलदत्त पिता नागरमल महाजन हि. 1/3 सा. देह खातेदार	6403/4718 4717/1	0.3318 2.3514	बा.प्र. बा.प्र.
	योग	**किता 2**	**2.6832**	–
2	देवेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह राणावत हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. गणेशनगर जावद कांकरोली खातेदार	4717/2	0.4471	बा.प्र.
	योग	**किता 1**	**0.4471**	–
3	पूर्वा देवपुरा पत्नी देवेन्द्रसिंह राणावत सा. देह खातेदार हिस्सा	4717/3	0.4471	बा.प्र.
	योग	**किता 1**	**0.4471**	–

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 31/23 (वाद) GCMS No. : 2023/60

उनवान

1. श्री देवेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह राणावत निवासी गणेश नगर जावद कांकरोली जिला राजसमन्द।

................वादी

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पिता नागरमल महाजन निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री तिलकराज पिता नागरमल महाजन निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्री सुनीदत्त पिता नागरमल महाजन निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्रीमती पूर्वा देवपुरा पत्नी देवेन्द्रसिंह राणावत राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म
1	अनिल कुमार पिता नागरमल महाजन सा. देह खातेदार हि. 1/3, तिलकराज पिता नागरमल महाजन सा. देह खातेदार हि. 1/3, सुनीलदत्त पिता नागरमल महाजन हि. 1/3 सा. देह खातेदार	6403/4718 4717/1	0.3318 2.3514	बा.प्र. बा.प्र.
	योग	**किता 2**	**2.6832**	–
2	देवेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह राणावत हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. गणेशनगर जावद कांकरोली खातेदार	4717/2	0.4471	बा.प्र.
	योग	**किता 1**	**0.4471**	–
3	पूर्वा देवपुरा पत्नी देवेन्द्रसिंह राणावत सा. देह खातेदार हिस्सा	4717/3	0.4471	बा.प्र.
	योग	**किता 1**	**0.4471**	–

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 15.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested